

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1648(अ).— केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।
- (2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।
- (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।
2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।
3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी - उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
लीनियर अल्काइल बेंजीन	आईएस 12795: 2020	लीनियर अल्काइल बेंजीन- विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1648(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application. — (1) This order may be called the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the 3rd October, 2022.
- (3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Linear Alkyl Benzene	IS 12795:2020	Linear Alkyl Benzene - Specification

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1649(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी - उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।